न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 104/2017 RCMS No.—2017/00250

प्रकाश पुत्र श्री मदनलाल जाति कुमावत निवासी वार्ड नंबर 12, कुद्ढीवालो की ढाणी, बगरूकलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..प्रार्थी

बनाम

1. नगरपालिका मण्डल बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. सत्यनारायण पुत्र श्री नानगराम जाति कुमावत निवासी लोहरवाडा, वार्ड नंबर 12, बगरू, जिला जयपुर।

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 73(2) न.पा.अधिनियम 2009 बाबत
पत्रावली संख्या 19/2010 सत्यनारायण पुत्र नानगराम

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप कुमार शर्मा प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजेश राज चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से ।
3. श्री विक्रम सिंह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

———————

निर्णय दिनांकः 10/10/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नगरपालिका बगरू के वार्ड संख्या 12 में स्थित आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 सत्यनारायण पुत्र श्री नानगराम जाति कुमावत निवासी लोहरवाडा, वार्ड नंबर 12 बगरू द्वारा किये गये अतिक्रमण नगरपालिका मण्डल बगरू द्वारा नियमित करने की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने से असंतुष्ट होकर 10.01.2013 को जिला कलक्टर जयपुर न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षी जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजेश राज चौधरी अधिवक्ता उपस्थित आये एवं विपक्षी सं. 2 की ओर से श्री विक्रम सिंह राठौड अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। नगरपालिका बगरू से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। प्रकरण बाद में जिला कलक्ट्र जयपुर के आदेश दिनांक 30.03.17 की अनुपालना में सुनवाई का क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नगरपालिका बगरू के वार्ड नंबर 12 मे स्थित आबादी भूमि में स्थित अतिक्रमण के नियममितिकरण हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया गया जिस पर नगरपालिका बगरू ने पत्रावली संख्या 19/2010 दर्ज कर उक्त भूमि को नियमितिकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की है। प्रश्नागत भूमि अप्रार्थी की स्वयं की अकेले की भूमि नहीं है तथा यह भूमि नगरपालिका में न होकर खसरा नंबर 6996 व 6245 कृषि भूमि में स्थित भूमि हे जिसमें आम रास्ते की भूमि कम कर सेटलमेन्ट विभाग ने इस खसरा नंबर में रकबा बढा दिया है तथा बढे हुए रकबा किस्म आम रास्ते पर अतिक्रमण की गई भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 पट्टा प्राप्त करना चाहता है इसलिए नगरपालिका का प्रस्ताव दिनांक 10.02.2010 बाबत पट्टा कार्यवाही किया जाना अवैध विधि विरूद्व है। प्रश्नागत भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां नियमित वाद विचाराधीन है तथा रास्ते पर किये गये अतिक्रमण की भूमि के रिकॉर्ड दुरूस्ती की कार्यवाही विचाराधीन है इसलिए नगरपालिका की कार्यवाही अवैध है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नगरपालिका बगरू के द्वारा बनाई गई सडक पर अतिक्रमण कर आवागमन बंद कर दिया गया है तथा उसी जगह अब पट्टा चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 को आम रास्ते पर पट्टा दिये जाने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नगरपालिका मण्डल बगरू द्वारा लिये गये प्रस्ताव दिनांक 10.02.2010 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रकरण में नगरपालिका बगरू द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है केवल अप्रार्थी संख्या 2 के आबादी भूमि के नियमितिकरण के आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। नगरपालिका द्वारा कोई प्रस्ताव, निर्णय प्रकरण में नहीं लिया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक के कथनों पर सहमति प्रदान करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 का प्रश्नागत भूमि पर विगत 50 वर्षो से कब्जा एवं निर्माण है। प्रश्नागत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नियमानुसार नियमितिकरण हेतु आवेदन किया गया है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा गलत तरीके से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व नगरपालिका बगरू की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका में निहित आबादी भूमि पर 31.12.1991 से पूर्व के अतिक्रमण इत्यादि को नियमित करने हेतु आवेदन

किया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन पत्र पर आगे कार्यवाही करते हुए प्रश्नागत भूमि की मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया। उक्त प्रक्रिया के विरूद्ध ही प्रार्थी द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी नगरपालिका अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा उसकी ओर से नगरपालिका भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने, अन्तरित करने के लिए किसी प्रस्ताव की शुद्वता, वैधता या औचित्य का विनिश्चिय कर सकता है। नगरपालिका बगरू से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि नगरपालिका बगरू द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के आवेदन पर नियमित करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आवेदन पत्र में वर्णित भूमि का केवल मौका रिपोर्ट लिये जाने तक की प्रकिया अपनाई गयी है। नगरपालिका बगरू द्वारा आबादी भूमि के नियमितिकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा नगरपालिक भूमि को नियमित करने के प्रस्ताव की शुद्वता, वैधता के बारे में परीक्षण कर सकता है। नगरपालिका बगरू द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के आवेदन में वर्णित आबादी भूमि के नियमितिकरण के संबंध में निर्णय/आदेश पारित करने अथवा नियमितिकरण का प्रस्ताव लिये जाने की स्थिति में प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत प्रस्ताव/आदेश के विरूद्व अपील किये जाने के विधिक अधिकार सुरक्षित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई विधिक आधार नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति नगरपालिका बगरू को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2019.11.16 14:11:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: